



न्यायालय प्रीमियम राजस्व मण्डल ग्वालिघर केम्प भोपाल म.प्र.



222

25/5/12
14/5/12
परीचय,
बेल्सोरे, होशंगाबाद

R-1608-I/12

परतराम आठो श्री अभयराम निवासी ग्राम
रायपुर तहसील व जिला होशंगाबाद

----- पुनरीक्षण पर्ता

विलक

1. अभय राम आठो लकाराम निवासी
ग्राम रायपुर तहसील व जिला होशंगाबाद
 2. माधुरीबाई देवा रामभरोस
 3. अभिषेक आठो स्व. रामभरोस
- दोनो निवासी ग्राम रायपुर तहसील व जिला
होशंगाबाद



----- उत्तरवादी गण

पुनरीक्षण वापिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.राजस्व संहिता.

क्रमांक
जिस्टार पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 31-5-12 को प्राप्त

Swadha

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालिघर

न्यायालय प्रीमियम कलेक्टर होशंगाबाद द्वारा अपील क्रमांक
16-बी/121 वर्ष 2011-2012 पक्षकार- परतराम -विलक-अभयराम
मे पारित आदेश दिनांक. 16.4.2012 के विलक पुनरीक्षण वापिका ।
=====

:: संक्षिप्त तथ्य ::



यह कि, उत्तरवादी क्र.1 के नाम ग्राम रायपुर तहसील
व जिला होशंगाबाद मे भूमि खतरा नं. 33, 34/1, 34/2, 35/1,
36, 37, 38, कुल रकबा 18.32 एकड़ शासकीय आम्नेली मे दर्ज की ।
उत्तरवादी क्र.1 के दो पुत्र थे प्रथम पुत्र उत्तरवादी क्र.2 व क्र.3
पूर्वाधिकारी श्री रामभरोस थे, जिनका निधन हो गया है उत्तरवादी
क्र.2 व 3 रामभरोस के पैदा तक उत्तरवाधिकारी है तथा द्वारा
यह पुनरीक्षण पर्ता है ।

Handwritten signature

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1608-एक/2012 जिला होशंगाबाद

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
28-02-19	<p>आवेदक पक्ष अधिवक्ता श्री आर0पी0यादव उपस्थित। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी कलेक्टर न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 29-5-2019 को संभागीय आयुक्त के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों। उभयपक्ष सूचित हो।</p> <p style="text-align: center;">  अध्याक्ष </p>	<p style="text-align: center;">  अध्याक्ष </p>